[2019] 2 उम. नि. प. 163

बिलाल हजर उर्फ **अब्दुल हमीद**

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक

10 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति (सुश्री) इन्दु मल्होत्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 120ख और 302 – आपराधिक षड्यंत्र – हत्या – मृतक द्वारा एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्तियों को एक सार्वजनिक सभा में अपशब्द कहना – अभियुक्तों द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के मकान पर मृतक की हत्या करने का षड्यंत्र रचा जाना – षड्यंत्र में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या कर दिया जाना – मामले के तथ्यों से अपराध कारित करने के आधार का गठन होने और अभियुक्त-अपीलार्थी की अपराध में अंतर्ग्रस्तता के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य स्वाभाविक और संगत पाए जाने के आधार पर हत्या के षड्यंत्र में अंतर्ग्रस्त अन्य अभियुक्तों के साथ अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 19 अगस्त, 1991 को कोयम्बटूर शहर में सार्वजनिक गलियों की दीवारों पर कुछ इश्तेहार (पोस्टर) चिपके पाए गए थे । इन इश्तहारों में यह धमकी दी गई थी कि एक विशिष्ट समुदाय के सात व्यक्तियों को मार दिया जाएगा । नामित सात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति "शिव कुमार **उर्फ** शिवा" था । शिवा को उसका नाम इश्तहार में प्रकाशित होने का पता चलने पर उसने तारीख 30 अगस्त, 1991 को आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में एक विशिष्ट समुदाय के सदस्यों को गंदी भाषा में डांट लगाई, क्योंकि उसके

अनुसार उस समुदाय के सदस्यों ने ऐसे इश्तहार चिपकाए थे जिनमें उसे और उसमें नामित छह अन्य व्यक्तियों की हत्या करने की धमकी दी गई थी । तारीख 1 सितम्बर, 1991 को अपराह्न में 2.30 से 3.30 बजे के बीच सभी नौ अभियुक्त (अभियुक्त-1 से 9) अपीलार्थी (अभियुक्त-6) के मकान में जमा हुए और उन्होंने शिवा की हत्या करने का आपराधिक षड्यंत्र रचा । आपराधिक षड्यंत्र को अग्रसर करते हुए तारीख 5 सितम्बर, 1991 को पूर्वाह्न में लगभग 7.45 बजे अभियुक्त (अभियुक्त-1 से 5) एक भगौड़े अभियुक्त सहित घातक आयुधों से लैस होकर कोबाई मिल रोड, कोयम्बटूर पर जमा हुए और अभियुक्तों (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-3) ने शिवा पर, जो सड़क से गुजर रहा था, चाकू से आक्रमण किया । अभियुक्त-1 ने एक कांस्टेबल चिन्नाथाम्बो (अभि. सा. 1) पर भी चाकू से प्रहार किया जो घटनास्थल पर आया था । क्षतिग्रस्त शिवा को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसे मृत घोषित किया गया । इस घटना के परिणामस्वरूप नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने पर नौ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 302, 148 और 332 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । दोषसिद्ध अभियुक्तों ने व्यथित होकर अपनी-अपनी दोषसिद्धि और उन्हें दिए गए दंडादेशों की वैधता और शुद्धता को प्रश्नगत करते हुए कुछ ने संयुक्त रूप से और कुछ ने अलग-अलग दांडिक अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय द्वारा अभियुक्तों की अपीलें, अभियुक्त-9 के सिवाय जिसे दोषमुक्त कर दिया गया था, खारिज कर दी गईं । अभियुक्त-2 की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी (अभियुक्त-6) ने व्यथित होकर अकेले उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – षड्यंत्र का गठन करने के लिए, कोई अवैध कार्य करने

या अवैध साधनों द्वारा कोई कार्य करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन होना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में, अभियुक्त के विरुद्ध षड्यंत्र का अभिवाक् करने के लिए यह बात अनिवार्य है । तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारियों को जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका प्रत्येक ब्यौरा अवश्य ज्ञात होना चाहिए और न ही ऐसे मिलन में उनके सक्रिय भाग/भूमिका को साबित करना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में, ऐसे मिलन में केवल उनकी मौजूदगी और सहभागिता ही पर्याप्त है । यह सर्वविदित है कि आपराधिक षड्यंत्र सदैव गुप्त रूप से रचा जाता है और कदापि किसी को इसकी भनक नहीं होती, आम जनता की बात तो दूर । यही कारण है कि षड्यंत्र की विद्यमानता और जिस उद्देश्य के लिए यह रचा जाता है उसका निष्कर्ष पारिस्थितिक साक्ष्य, जैसे षड्यंत्रकारियों का आचरण, ऐसा मिलन होने से लेकर अपराध कारित करने तक कि परिस्थितियों की श्रृंखला के आधार पर किसी अभियुक्त को अपराध कारित करने का दोषी ठहराने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने हेतु लागू होने वाले सिद्धांत को लागू करके निकाला जाना चाहिए । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 4 अपीलार्थी के मकान के निकट एक पेड़ के नीचे अपनी छोटा-सा चाय का स्टाल चला रहा था । यह स्टाल मकान से लगभग 70 फुट की दूरी पर था और कोई भी व्यक्ति चाय के स्टाल से अपीलार्थी के मकान को देख सकता था । अभि. सा. 3 सुसंगत समय के दौरान अभि. सा. 4 के चाय के स्टाल पर दैनिक मजदूरी पर ही बॉय (चाय देने वाला लड़का) के रूप में कार्य कर रहा था । अभि. सा. 3 ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि तारीख 1 सितम्बर, 1991 को लगभग 2.00 बजे अपराह्न में उसने अपीलार्थी (अभियुक्त-6), बाशा (अभियुक्त-8) और सबेयर (अभियुक्त-9) को कार (वैन) से उतरते हुए और अपीलार्थी के मकान में प्रवेश करते हुए देखा । कुछ समय के पश्चात् बाशा (अभियुक्त-8) चाय के स्टाल पर आया और उससे (अभि. सा. 3) अपीलार्थी के मकान में 10 कप चाय लाने के लिए कहा । अभि. सा. 3 ने अभि. सा. 4 को 10 कप चाय बनाने और उसे देने के लिए कहा और अभि. सा. 3 अपीलार्थी के मकान में चाय लेकर गया और कमरे में बैठे हर व्यक्ति को चाय दी । फिर उसने चाय के खाली कप उठाने के लिए कुछ समय तक इंतजार किया, तब उसने

अपीलार्थी (अभियुक्त-6) को वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना कि "चाहे जो भी हो, हमें 10 दिन के भीतर शिवा को मार देना चाहिए ।" उसने यह कहा कि अपीलार्थी के यह कहने पर एक अन्य व्यक्ति-बाशा (अभियुक्त-8) जो चाय का आर्डर करने के लिए चाय के स्टाल पर आया था, ने यह कहा कि "शुरुआत करने के पश्चात् किसी भी हालत में अब हमें पीछे नहीं हटना है और शिवा को समाप्त करना है ।" इस पर अभियुक्त-7 (सुबाहिर) ने अपने साथ बैठे हुए अभियुक्त-1 (जाहीर हुसैन) को स्पर्श करते हुए कहा कि वह अर्थात् अभियुक्त-1 इस काम को करने वाला सबसे उपयुक्त व्यक्ति है । उस समय अभियुक्त-8 (बाशा) ने अभि. सा. 3, जो वहां खड़ा था, को देखा और उससे कहा कि वह (अभि. सा. 3) यहां क्यों खड़ा है और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा । जब अभि. सा. 3 वहां से जा रहा था, तो उसने अपीलार्थी को अन्य व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना कि क्या वे शिवा की हत्या करेंगे । सभी ने अपीलार्थी के प्रश्न के उत्तर में उंची आवाज में कहा, मानकर चलो, वे एक प्रकार की शपथ ले रहे हैं कि वे शिवा को मार डालेंगे । अभि. सा. 3 ने इसके पश्चात् यह कहा कि चाय के स्टाल पर वापस आने पर उसने अपने मालिक को वह बताया जो उसने अपीलार्थी के मकान में देखा और सुना था, इस पर अभि. सा. 4 ने उससे कहा कि इन बातों पर ध्यान मत दे । अभि. सा. 4 ने फिर उससे कुछ समय के पश्चात् वापस जाने और खाली कप तथा 10 कप चाय के पैसे लाने के लिए कहा । अभि. सा. 3 फिर से पंद्रह मिनट के पश्चात् अपीलार्थी के मकान पर गया तब वहां एकत्र व्यक्तियों ने उसे 8/- रुपए दिए और कहा कि बाकी वह टिप के रूप में अपने पास रख लेना । इस साक्षी ने इसके पश्चात् यह कथन किया कि लगभग 4/5 या अधिक दिनों के पश्चात् उसने सुना कि शिवा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है इसलिए वह उसे देखने राजकीय अस्पताल गया । अभि. सा. 4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में घटना के बारे में न्यूनाधिक अभि. सा. 3 के कथन से मिलता-जुलता साक्ष्य दिया । दूसरे शब्दों में, अभि. सा. 4 ने अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य की सभी तात्विक बातों की संपुष्टि की है और इसलिए न्यायालय उसके अभिसाक्ष्य को विस्तार से दोहराना नहीं चाहता है । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय उनके परिसाक्ष्य को त्यक्त करने का कोई ठोस

आधार नहीं पाता है । न्यायालय की राय में, उनके परिसाक्ष्य स्वाभाविक, संगत पाए गए हैं और किसी विरोधाभास से ग्रस्त नहीं है, विरोधाभास की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है जिससे कि उन्हें पूर्णत: अविश्वसनीय होने के कारण दरकिनार किया जा सके । अत: न्यायालय के मत में, दोनों निचले न्यायालयों ने अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए उनके परिसाक्ष्य का ठीक ही अवलंब लिया है । अत:, न्यायालय की सुविचारित राय में, शिवा को मारने/समाप्त करने की योजना सूत्रबद्ध करने में अपीलार्थी की सहापराधिता को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करके सम्यक् रूप से साबित किया गया है । वास्तव में, अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जिसने शिवा को मारने/समाप्त करने का जिम्मा लिया था और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने पहले तो अपने मकान में तारीख 1 सितम्बर, 1991 को सभी अन्य अभियुक्तों के साथ एक बैठक की और उसके अनुसरण में अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5 के माध्यम से इस काम को तब पूरा किया गया जब अभियुक्त-1 से अभियुक्त-3 ने शिवा को चाकू घोंपकर क्षतियां कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मानव वध मृत्यु हुई । पूर्वगामी विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य की सहायता से सभी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में समर्थ रहा था कि अपीलार्थी (अभियुक्त-6) अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ आपराधिक षड्यंत्र का एक सक्रिय सदस्य था और अपने मकान में की गई बैठक में, जो 1 सितम्बर, 1991 को हुई थी, शिवा को मारने/समाप्त करने की योजना रची थी और उसको अग्रसर करते हुए, अभियुक्तों (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5) ने शिवा को चाकू घोंपकर क्षतियां करके तारीख 5 सितम्बर, 1991 को उसको सफलतापूर्वक मार दिया/समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप, उसकी मानव वध मृत्यु कारित की गई । अत:, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 302 के अधीन विहित दोषसिद्धि और अधिनिर्णीत आजीवन कारावास का दंडादेश सिद्ध होता है । अत:, यह न्यायालय उनके मत से सहमत है और तद्नुसार, इसकी पुष्टि करता है । (पैरा 32, 33, 34, 37, 38, 39,

40, 45, 56 और 57)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 6 एस. सी. सी. 564 : **बलदेव सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	34
[1962]	[1962] 2 एस. सी. आर. 195 : **मेजर ई. जी. बारसे** बनाम **बम्बई राज्य** ;	31
[1952]	ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 167 : **लछमन सिंह** बनाम **राज्य** ।	24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 1305.

2003 की दांडिक अपील सं. 1200 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 8 नवम्बर, 2006 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — श्री के. के. मणि और सुश्री टी. अर्चना

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी और राजा राजेश्वरन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – यह अपील 2003 की दांडिक अपील सं. 1200 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 8 नवम्बर, 2006 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी थी ।

2. इस अपील में अंतर्वलित विवाद्यकों का मूल्यांकन करने के लिए मामले के तथ्यों को विस्तार से इसमें नीचे उपवर्णित करना आवश्यक है ।

3. अभियोजन के पक्षकथन का संक्षेप में निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया जा सकता है ।

4. विद्वान् सेशन न्यायालय (त्वरित न्यायालय सं. 111),

कोयम्बटूर द्वारा 2000 के सेशन विचारण सं. 239 में कुल नौ व्यक्तियों का विभिन्न अपराधों के लिए विचारण किया गया था ।

5. भारतीय दंड संहिता के अधीन जिन अपराधों के लिए अभियुक्तों का विचारण किया गया था, उनका ब्यौरा इसमें नीचे उपवर्णित किया जाता है :–

(1) अभियुक्त-1 से अभियुक्त-9	भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख
(2) अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5	भारतीय दंड संहिता की धारा 148
(3) अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5	भारतीय दंड संहिता की धारा 302
(4) अभियुक्त-1	भारतीय दंड संहिता की धारा 332

6. तारीख 19 अगस्त, 1991 को कोयम्बटूर शहर में सार्वजनिक गलियों की दीवारों पर कुछ इश्तेहार (पोस्टर) चिपके पाए गए थे । इन इश्तहारों में यह धमकी दी गई थी कि एक विशिष्ट समुदाय के सात व्यक्तियों को मार दिया जाएगा । नामित सात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति "शिव कुमार **उर्फ** शिवा" था ।

7. शिवा को उसका नाम इश्तहार में प्रकाशित होने का पता चलने पर उसने तारीख 30 अगस्त, 1991 को आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में एक विशिष्ट समुदाय के सदस्यों को गंदी भाषा में डांट लगाई, क्योंकि उसके अनुसार उस समुदाय के सदस्यों ने ऐसे इश्तहार चिपकाए थे जिनमें उसे और उसमें नामित छह अन्य व्यक्तियों की हत्या करने की धमकी दी गई थी ।

8. तारीख 1 सितम्बर, 1991 को अपराह्न में 2.30 से 3.30 बजे के बीच सभी नौ अभियुक्त (अभियुक्त-1 से 9) अपीलार्थी (अभियुक्त-6) के मकान में जमा हुए और उन्होंने शिवा की हत्या करने का आपराधिक षड्यंत्र रचा । आपराधिक षड्यंत्र को अग्रसर करते हुए तारीख 5

सितम्बर, 1991 को पूर्वाह्न में लगभग 7.45 बजे अभियुक्त (अभियुक्त-1 से 5) एक भगौड़े अभियुक्त सहित घातक आयुधों से लैस होकर कोबाई मिल रोड, कोयम्बटूर पर जमा हुए और अभियुक्तों (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-3) ने शिवा पर, जो सड़क से गुजर रहा था, चाकू से आक्रमण किया । अभियुक्त-1 ने एक कांस्टेबल चिन्नाथाम्बो (अभि. सा. 1) पर भी चाकू से प्रहार किया जो घटनास्थल पर आया था । क्षतिग्रस्त शिवा को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसे मृत घोषित कर दिया गया ।

9. इस घटना के परिणामस्वरूप नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने पर नौ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और ऊपर दिए गए ब्यौरे अनुसार उनका विभिन्न अपराध कारित करने के लिए विचारण किया गया । सेशन न्यायाधीश ने तारीख 29 जुलाई, 2003 के आदेश द्वारा अभियुक्तों को निम्नलिखित प्रकार से दोषसिद्ध किया :–

> "अभियुक्त सं. 1 से 9 पर धारा 120(ख)(1) के अधीन आजीवन कारावास का दंड और 1000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है और जुर्माना न देने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त सं. 1 से 4 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास और 25,000/- रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंड अधिरोपित किया जाता है । अभियुक्त सं. 1 से 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन इतनी ही अवधि का कठोर कारावास भुगतना होगा । विचारण के दौरान कारागार में रहने की अवधि की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन कटौती की जा सकेगी । कुल 1,90,000/- रुपए के जुर्माने में से 1,00,000/- रुपए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन शिवा के बालक को दिए जाएंगे ।"

10. दोषसिद्ध अभियुक्तों ने व्यथित होकर अपनी-अपनी दोषसिद्धि और उन्हें दिए गए दंडादेशों की वैधता और शुद्धता को प्रश्नगत करते हुए कुछ ने संयुक्त रूप से और कुछ ने अलग-अलग दांडिक अपीलें फाइल

कीं ।

11. उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय द्वारा अभियुक्तों की अपीलें, अभियुक्त-9 के सिवाय जिसे दोषमुक्त कर दिया गया था, खारिज कर दी गई । अभियुक्त-2 की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया ।

12. अकेले अभियुक्त-6 ने अपनी दोषसिद्धि और अधिनिर्णीत दंडादेशों से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की है । जहां तक अन्य अभियुक्तों का संबंध है, उन्होंने अपनी-अपनी दोषसिद्धि/दंडादेशों के विरुद्ध इस न्यायालय में कोई अपील फाइल नहीं की है । अत: उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश अंतिम हो गए हैं । उनमें से प्रत्येक को दिए गए कारागार के दंडादेश अनुसार वे अपने-अपने कारागार के दंडादेश भुगत रहे हैं ।

13. इस प्रकार इस अपील में अंतर्वलित एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या निचले न्यायालयों ने अपीलार्थी (अभियुक्त-6) को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन अपराध कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित करके न्यायोचित किया है या नहीं ।

14. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जहां तक अपीलार्थी (अभियुक्त-6) का संबंध है, उसे अभियोजित किया गया था और परिणामत:, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और तद्नुसार, आजीवन कारावास दिया गया था । दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी (अभियुक्त-6) को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था और उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध किया गया था ।

15. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री के. के. मणि और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. योगेश को सुना ।

16. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री के. के. मणि ने आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह दलील दी कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल दो साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य पर आधारित है ।

17. विद्वान् काउंसेल ने अनुसार, ये दोनों साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा गढ़े गए संयोगी साक्षी है और इसलिए दोनों निचले न्यायालयों ने उनके परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर गलती की है । उन्होंने यह दलील दी कि इन दोनों साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराया जाना चाहिए था ।

18. इसके पश्चात् विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील को विस्तृत करते हुए उनके परिसाक्ष्य को पढ़ा और कुछ मुद्दों पर उनके कथनों में की विसंगतियों और विरोधाभासों को उजागर किया जिनसे, उनके अनुसार, इन साक्षियों के कथन पूर्णत: अविश्वसनीय हो जाते हैं ।

19. बुनियादी तौर पर यही वे दलीलें हैं जिनके द्वारा विद्वान् काउंसेल ने इन साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करके आग्रह किया है और यह दलील दी है कि जहां तक अपीलार्थी (अभियुक्त-6) का संबंध है, जब एक बार यह सिद्ध हो गया है कि वह तारीख 5 सितम्बर, 1991 को शिवा की हत्या करने के लिए उस आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार, तारीख 1 सितम्बर, 1991 को उसके मकान में रचा गया था, इसलिए अपीलार्थी पूर्णतया दोषमुक्ति का हकदार था ।

20. यह आग्रह किया गया कि स्वीकृत रूप से यह अभियोजन पक्ष द्वारा गढ़ा गया मामला है जिसमें यह भी साबित हुआ है कि अपीलार्थी तारीख 5 सितम्बर, 1991 को शिवा की हत्या करने का अपराध करते समय वास्तविक तौर पर न तो मौजूद था और न ही इसमें अंतर्वलित था, अपितु वे अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5 थे जो तारीख 5 सितम्बर, 1991 को शिवा की हत्या करने में अंतर्वलित थे । यही कारण है कि अपीलार्थी को शिवा की हत्या करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह उसकी हत्या करने के किसी आपराधिक षड्यंत्र का सदस्य नहीं था ।

21. उत्तर में, प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया जिसके द्वारा, उनके अनुसार, सेशन न्यायालय के आदेश को ठीक ही कायम रखा गया था और उन्होंने उसमें अंतर्विष्ट तर्काधार और निष्कर्ष का समर्थन किया तथा यह दलील दी कि दो निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को उलटने के लिए कोई

मामला नहीं बनता है । यह आग्रह किया गया कि इसमें दिए गए तर्काधार और निकाला गया निष्कर्ष साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और इस अपील में उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

22. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् हम अपीलार्थी (अभियुक्त-6) की ओर से विद्वान् काउंसेल की दलीलों में कोई बल नहीं पाते हैं ।

23. प्रारंभ में, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि जब दो निचले न्यायालयों ने अपनी-अपनी अधिकारिता में संपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का मूल्यांकन किया हो, तब यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए साक्ष्य का नए सिरे से तब तक मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि अपीलार्थी यह बताने में समर्थ न हो सके कि दोनों निचले न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष पूर्णत: अनुचित है या किसी साक्ष्य के बिना अभिलिखित किया गया है या तात्विक साक्ष्य का गलत अनुशीलन करके या उपेक्षा करके अभिलिखित किया गया है ।

24. हम **लछमन सिंह** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में पीठ की ओर से निर्णय लिखते हुए विद्वान् न्यायाधीश, न्यायमूर्ति फजल अली के संगत शब्दों का स्मरण करना उचित समझते हैं जब माननीय न्यायमूर्ति ने यह मत अभिव्यक्त किया था "यह कहना पर्याप्त है कि साक्ष्य और किसी तथ्य के ऐसे प्रश्न का पुनर्निधारण करना इस न्यायालय का काम नहीं है जिससे निचले न्यायालय सहमत न हुए हों, उससे अपीलार्थियों को इस न्यायालय में सहायता नहीं मिल सकती है ।"

25. इसके बावजूद, हम यह महसूस करते हैं कि चूंकि अपीलार्थियों को यह अपील फाइल करने के लिए इजाजत दी गई है, इसलिए यह न्यायसंगत और उचित है कि साक्ष्य और विशिष्ट रूप से अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य का यह पता लगाने के लिए परिशीलन किया जाए कि क्या निचले न्यायालयों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख

---

[1] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 167.

के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए उनके परिसाक्ष्यों का अवलंब लेकर ठीक किया है या नहीं ।

26. इससे पूर्व कि हम अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य की परीक्षा करें, भारतीय दंड संहिता की धारा 120क और 120ख, जिनके अधीन अपीलार्थी को अभियोजित किया गया था और परिणामत: दोषसिद्ध किया गया था, के आवश्यक संघटकों का उल्लेख करना उचित है ।

27. "आपराधिक षड्यंत्र" अभिव्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 120क में परिभाषित किया गया है । इसमें यह कहा गया है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति "आपराधिक षड्यंत्र" कहलाती है । इस धारा में इसके पश्चात् इस आशय का एक अपवाद उपबंधित है कि किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता । इस धारा से संलग्न स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक भाग है ।

28. भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख में आपराधिक षड्यंत्र का अपराध करने के लिए दंड का उपबंध किया गया है । इसमें यह कहा गया है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था ।

29. तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से

अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

30. भारतीय दंड संहिता की धारा 120क और 120ख के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि "आपराधिक षड्यंत्र" का अपराध एक अलग और सुभिन्न अपराध है । अत:, आपराधिक षड्यंत्र का गठन करने और इसकी कठोरता को लागू करने के लिए मामले में तथ्यों के आधार पर दो तत्वों का मौजूद होना आवश्यक है : प्रथम, एक से अधिक व्यक्ति की अंतर्ग्रस्तता और द्वितीय, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के बीच कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने की सहमति ।

31. **मेजर ई. जी. बारसे** बनाम **बम्बई राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा "आपराधिक षड्यंत्र" अभिव्यक्ति को उपयुक्त ढंग से स्पष्ट किया गया था । विद्वान् न्यायाधीश सुब्बा राव (माननीय न्यायाधीश, जैसे उस समय थे और बाद में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बने) ने पीठ की ओर से अपनी विलक्षण लेखन शैली में निर्णय लिखते हुए यह कहा :–

> "31..... अपराध का सार विधि का भंजन करने के लिए सहमत होना है । ऐसी सहमति देने वाले पक्षकार आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे, भले ही अवैध कार्य, जिसके लिए सहमत होते हैं, न किया गया हो । इसलिए, अपराध का यह भी संघटक नहीं है कि सभी पक्षकारों को कोई एकल कृत्य करने के लिए सहमत होना चाहिए । इसमें कई सारे कृत्यों का करना समाविष्ट हो सकता है ।"

32. अत:, षड्यंत्र का गठन करने के लिए, कोई अवैध कार्य करने या अवैध साधनों द्वारा कोई कार्य करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन होना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में, अभियुक्त के विरुद्ध षड्यंत्र का अभिवाक् करने के लिए यह बात अनिवार्य है । तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारियों को जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका प्रत्येक ब्यौरा अवश्य ज्ञात होना चाहिए और न ही ऐसे मिलन में उनके सक्रिय भाग/भूमिका को साबित करना

---

[1] [1962] 2 एस. सी. आर. 195.

आवश्यक है ।

33. दूसरे शब्दों में, ऐसे मिलन में केवल उनकी मौजूदगी और सहभागिता ही पर्याप्त है । यह सर्वविदित है कि आपराधिक षड्यंत्र सदैव गुप्त रूप से रचा जाता है और कदापि किसी को इसकी भनक नहीं होती, आम जनता की बात तो दूर ।

34. यही कारण है कि षड्यंत्र की विद्यमानता और जिस उद्देश्य के लिए यह रचा जाता है उसका निष्कर्ष पारिस्थितिक साक्ष्य, जैसे षड्यंत्रकारियों का आचरण, ऐसा मिलन होने से लेकर अपराध कारित करने तक कि परिस्थितियों की श्रृंखला के आधार पर किसी अभियुक्त को अपराध कारित करने का दोषी ठहराने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने हेतु लागू होने वाले सिद्धांत को लागू करके निकाला जाना चाहिए (**बलदेव सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

35. विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जिसका इस न्यायालय द्वारा सतत् रूप से कई मामलों में अनुसरण किया गया है और दोहराया गया है, इस मामले में अंतर्वलित विवाद्यक की यह पता लगाने की दृष्टि से परीक्षा की जानी चाहिए कि क्या अपीलार्थी (अभियुक्त-6) उस आपराधिक षड्यंत्र का सदस्य था जो तारीख 5 सितम्बर, 1991 को की गई शिवा की हत्या करने के लिए तारीख 1 सितम्बर, 1991 को रचा गया था या दूसरे शब्दों में क्या अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य है और यदि कोई साक्ष्य है, तो क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अपीलार्थी की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंडों के अनुरूप है या नहीं ।

36. साक्ष्य में यह आया है कि घटना की शुरुआत, जिसके परिणामस्वरूप शिवा की मृत्यु हुई थी, एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्तियों द्वारा शहर में सार्वजनिक दिवारों पर इश्तहार चिपकाने से हुई थी जिनमें "शिवा" के साथ छह अन्य व्यक्तियों के नाम का उल्लेख

---

[1] (2009) 6 एस. सी. सी. 564.

करते हुए यह कहा गया था कि इन नामित सात व्यक्तियों की हत्या की जाएगी । इससे प्रथम दृष्ट्या यह उपदर्शित होता है कि शिवा और अन्य छह व्यक्ति आने वाले दिनों में एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्तियों द्वारा उनकी हत्या करने के लिए एक आसान लक्ष्य हो सकते थे । एक अन्य कारण जिसने प्रश्नगत घटना को परिवर्धित किया, वह उसके ठीक पश्चात् एक दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा तारीख 30 अगस्त, 1991 को आयोजित बैठक में शिवा द्वारा प्रयुक्त गंदी भाषा/गंदे शब्दों का प्रयोग करना था ।

37. अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 4 अपीलार्थी के मकान के निकट एक पेड़ के नीचे अपना छोटा-सा चाय का स्टाल चला रहा था । यह स्टाल मकान से लगभग 70 फुट की दूरी पर था और कोई भी व्यक्ति चाय के स्टाल से अपीलार्थी के मकान को देख सकता था । अभि. सा. 3 सुसंगत समय के दौरान अभि. सा. 4 के चाय के स्टाल पर दैनिक मजदूरी पर ही बॉय (चाय देने वाला लड़का) के रूप में कार्य कर रहा था ।

38. अभि. सा. 3 ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि तारीख 1 सितम्बर, 1991 को लगभग 2.00 बजे अपराह्न में उसने अपीलार्थी (अभियुक्त-6), बाशा (अभियुक्त-8) और सबेयर (अभियुक्त-9) को कार (वैन) से उतरते हुए और अपीलार्थी के मकान में प्रवेश करते हुए देखा । कुछ समय के पश्चात् बाशा (अभियुक्त-8) चाय के स्टाल पर आया और उससे (अभि. सा. 3) अपीलार्थी के मकान में 10 कप चाय लाने के लिए कहा । अभि. सा. 3 ने अभि. सा. 4 को 10 कप चाय बनाने और उसे देने के लिए कहा और अभि. सा. 3 अपीलार्थी के मकान में चाय लेकर गया और कमरे में बैठे हर व्यक्ति को चाय दी । फिर उसने चाय के खाली कप उठाने के लिए कुछ समय तक इंतजार किया, तब उसने अपीलार्थी (अभियुक्त-6) को वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना कि "चाहे जो भी हो, हमें 10 दिन के भीतर शिवा को मार देना चाहिए ।" उसने यह कहा कि अपीलार्थी के यह कहने पर एक अन्य व्यक्ति-बाशा (अभियुक्त-8) जो चाय का आर्डर करने के लिए चाय के स्टाल पर आया था, ने यह कहा कि "शुरूआत करने के पश्चात् किसी

भी हालत में अब हमें उलटा नहीं हटना है और शिवा को समाप्त करना है ।" इस पर अभियुक्त-7 (सुबाहिर) ने अपने साथ बैठे हुए अभियुक्त-1 (जाहीर हुसैन) को स्पर्श करते हुए कहा कि वह अर्थात् अभियुक्त-1 इस काम को करने वाला सबसे उपयुक्त व्यक्ति है । उस समय अभियुक्त-8 (बाशा) ने अभि. सा. 3, जो वहां खड़ा था, को देखा और उससे कहा कि वह (अभि. सा. 3) यहां क्यों खड़ा है और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा । जब अभि. सा. 3 वहां से जा रहा था, तो उसने अपीलार्थी को अन्य व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना कि क्या वे शिवा की हत्या करेंगे । सभी ने अपीलार्थी के प्रश्न के उत्तर में ऊंची आवाज में कहा, मानकर चलो, वे एक प्रकार की शपथ ले रहे हैं कि वे शिवा को मार डालेंगे । अभि. सा. 3 ने इसके पश्चात् यह कहा कि चाय के स्टाल पर वापस आने पर उसने अपने मालिक को वह बताया जो उसने अपीलार्थी के मकान में देखा और सुना था, इस पर अभि. सा. 4 ने उससे कहा कि इन बातों पर ध्यान मत दे । अभि. सा. 4 ने फिर उससे कुछ समय के पश्चात् वापस जाने और खाली कप तथा 10 कप चाय के पैसे लाने के लिए कहा । अभि. सा. 3 फिर से पंद्रह मिनट के पश्चात् अपीलार्थी के मकान पर गया तब वहां एकत्र व्यक्तियों ने उसे 8/- रुपए दिए और कहा कि बाकी वह टिप के रूप में अपने पास रख लेना । इस साक्षी ने इसके पश्चात् यह कथन किया कि लगभग 4/5 या अधिक दिनों के पश्चात् उसने सुना कि शिवा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है इसलिए वह उसे देखने राजकीय अस्पताल गया ।

39. अभि. सा. 4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में घटना के बारे में न्यूनाधिक अभि. सा. 3 के कथन से मिलता-जुलता साक्ष्य दिया । दूसरे शब्दों में, अभि. सा. 4 ने अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य की सभी तात्विक बातों की संपुष्टि की है और इसलिए हम उसके अभिसाक्ष्य को विस्तार से दोहराना नहीं चाहते हैं ।

40. अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् हम उनके परिसाक्ष्य को त्यक्त करने का कोई ठोस आधार नहीं पाते हैं । हमारी राय में, उनके परिसाक्ष्य स्वाभाविक, संगत पाए गए हैं और किसी विरोधाभास से ग्रस्त नहीं हैं, विरोधाभास की थोड़ी

गुंजाइश नहीं है जिससे कि उन्हें पूर्णत: अविश्वसनीय होने के कारण दरकिनार किया जा सके । अत: हमारे मत में, दोनों निचले न्यायालयों ने अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए उनके परिसाक्ष्य का ठीक ही अवलंब लिया है ।

41. हमारी सुविचारित राय में, इस न्यायालय द्वारा अधिकथित इस कसौटी को, कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 120क के अधीन मामले को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य की सहायता से कैसे सिद्ध किया जाना चाहिए, इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया पाया गया है और यह बात हम निम्नलिखित कारणों से कह रहे हैं ।

42. प्रथम, अभियुक्तों द्वारा तारीख 1 सितम्बर, 1991 को बैठक आयोजित करने का पर्याप्त आधार था और उक्त आधार तारीख 19 अगस्त, 1991 को शहर के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर इश्तहार चिपकाने की घटना थी और दूसरी बात यह कि तारीख 30 अगस्त, 1991 को एक जनसभा हुई थी जिसमें शिवा (मृतक) ने उस समुदाय के व्यक्तियों के विरुद्ध जिसके अभियुक्त थे, गंदी भाषा का प्रयोग किया था । इन दो तथ्यों ने प्रश्नगत अपराध कारित करने के लिए आधार का गठन किया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उनको पर्याप्त साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया गया है ।

43. द्वितीय, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से अपीलार्थी के मकान में तारीख 1 सितम्बर, 1991 को अन्य अभियुक्तों के साथ वह बैठक करने का तथ्य साबित किया गया है, जिसमें 10 दिनों के भीतर शिवा को मार देने/समाप्त कर देने का विनिश्चय किया गया था ।

44. तृतीय, अभि. सा. 3 सभी अभियुक्तों को चाय परोसते समय अपीलार्थी के मकान में की मौजूदगी की बात अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य द्वारा साबित होती है । इसी प्रकार, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से अभियुक्तों के बीच इस बात को दृढ़ करते हुए बातों का आदान-प्रदान भी साबित होता है कि वे शिवा को

मारेंगे/समाप्त करेंगे, और वास्तविकता यह है कि बैठक होने के पांच दिनों के पश्चात् शिवा को मार/समाप्त कर दिया गया था और अंतिम बात यह कि उसकी मृत्यु मानव वध साबित की गई है ।

45. अतः, हमारी सुविचारित राय में, शिवा को मारने/समाप्त करने की योजना सूत्रबद्ध करने में अपीलार्थी की सहापराधिता को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करके सम्यक् रूप से साबित किया गया है । वास्तव में, अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जिसने शिवा को मारने/समाप्त करने का जिम्मा लिया था और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने पहले तो अपने मकान में तारीख 1 सितम्बर, 1991 को सभी अन्य अभियुक्तों के साथ एक बैठक की और उसके अनुसरण में अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5 के माध्यम से इस काम को तब पूरा किया गया जब अभियुक्त-1 से अभियुक्त-3 ने शिवा को चाकू घोंपकर क्षतियां कारित कीं और जिसके परिणामस्वरूप उसकी मानव वध मृत्यु हुई ।

46. हमारी राय में, शिवा को मारने/समाप्त करने के लिए वास्तव में अपराध कारित करते समय अपीलार्थी का तारीख 5 सितम्बर, 1991 को अभियुक्तों (अभि. 1 से अभि. 5) के साथ रहना आवश्यक नहीं था, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख में उपबंधित है । अपीलार्थी को यही अपराध कारित करने का उसी प्रकार दोषी ठहराया जा सकता था और वही दंडादेश दिया जा सकता था, जो अभियुक्तों (अभि. 1 और अभि. 5) को दिया गया था, मानों उसने हत्या का अपराध करने का दुष्प्रेरण किया था ।

47. हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की उस दलील से प्रभावित नहीं हैं जिसमें उसने अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से तीन कथनों का उल्लेख करने की कोशिश की जो, विद्वान् काउंसेल के अनुसार, परस्पर विरोधाभासी हैं और उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाते हैं ।

48. पहला यह है कि अभि. सा. 3 ने यह कहा था कि "वह शिवा के शव को देखने के लिए अकेला अस्पताल गया था, जबकि अभि. सा. 4 ने यह कहा था कि "हम शिवा के शव को देखने के लिए

अस्पताल गए थे ।

49. हमारी राय में, अस्पताल जाने के मुद्दे पर उनके बयान में कोई विरोधाभास नहीं है । चाहे दोनों एक साथ गए या उनके जाने के बीच कुछ समय का अंतराल होते हुए वे अलग-अलग गए, उनके संपूर्ण परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के लिए इस बात का शायद ही कोई महत्व हो ।

50. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा बताया गया दूसरा दृष्टांत यह है कि जब अभि. सा. 3 का शिवा से किसी प्रकार का काई संबंध नहीं था और न ही अभियुक्तों से कोई संबंध था, तो फिर वह शिवा के शव को देखने के लिए अस्पताल क्यों गया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह तथ्य अस्वाभाविक प्रतीत होता है और इस प्रकार अभि. सा. 3 का परिसाक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है ।

51. हमारे मत में, दूसरे दृष्टांत में भी कोई सार नहीं है । इसका कारण यह है कि अपीलार्थी के पास सभी तथाकथित विरोधाभासों पर अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 दोनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर था किन्तु वह अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की प्रतिपरीक्षा न करके इस अवसर का उपभोग करने में असफल रहा । दूसरी ओर, अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्तों द्वारा की गई अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की प्रतिपरीक्षा को ही अपनाया था और इन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के अपने अधिकार को त्याग दिया था । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, अब उसे अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य में दोष ढूंढने और कुछ ऐसे विरोधाभासों का अवलंब लेने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है जो अन्यथा कोई विरोधाभास दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे बड़े विरोधाभास होने की बात तो दूर जिनसे उनके परिसाक्ष्य पर असर पड़ता हो ।

52. किसी भी स्थिति में, दूसरे दृष्टांत में अन्यथा भी कोई सार नहीं है और इसका सीधा-सा कारण यह है कि केवल अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ही वे व्यक्ति थे जिनको तारीख 1 सितम्बर, 1991 को अपीलार्थी के मकान पर हुई बैठक की जानकारी थी, जहां अभि. सा. 3

ने शिवा को समाप्त करने की योजना सुनी थी और अपीलार्थी के मकान से वापस आने पर उसने अभि. सा. 4 को उक्त घटना बताई थी । इन परिस्थितियों में और इस पृष्ठभूमि में यदि अभि. सा. 3 अस्पताल गया था, जो कि चाय के स्टाल के बहुत नजदीक था, तो उसके वहां जाने में कुछ अस्वाभाविक नहीं है ।

53. इसके अलावा, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा बताई गई एक अन्य परिस्थिति यह थी कि अभि. सा. 3 ने अभि. सा. 4 की सेवाएं तारीख 1 मई, 1991 को ग्रहण की थी और पांच दिनों के भीतर छोड़कर चला गया था । विद्वान् काउंसेल के अनुसार इससे यह दर्शित होता है कि वह एक संयोगी साक्षी था । हम इससे सहमत नहीं हैं ।

54. अभि. सा. 3 अभि. सा. 4 के पास 7/- रुपए की रकम पर दैनिक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था । इन परिस्थितियों में, यदि अभि. सा. 3 ने एक सप्ताह या अधिक दिन तक काम किया था और उसके पश्चात् काम छोड़ दिया था तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने अभि. सा. 4 के पास बिल्कुल काम किया ही नहीं था । बहरहाल, यह किसी व्यवस्थित संगठन में नियुक्ति नहीं थी अपितु एक व्यक्ति के पास एक पेड़ के नीचे चला रहे उसके चाय के स्टाल पर थी । इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई यह निष्कर्ष निकाल सके कि अभि. सा. 3 ने उन पांच दिनों के दौरान अभि. सा. 4 के पास बिल्कुल काम किया ही नहीं था । अभि. सा. 3 के लिए यह काम छोड़ने के अनेक कारण हो सकते थे । इतना ही नहीं, जब यह साबित किया गया है कि अभि. सा. 4 उस स्थान पर लंबे समय से अपनी चाय की दुकान चला रहा था और इसलिए उस अवस्थान तथा आने-जाने वाले लोगों से परिचित था ।

55. अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि अभि. सा. 3 की किसी अभियुक्त से पहले से कोई दुश्मनी थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वह उनके विरुद्ध कथन करने के लिए कठघरे में आया था । अभि. सा. 3 लगभग 17 वर्ष का एक नौजवान लड़का था और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 से ये सब प्रश्न उनकी प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते थे किन्तु उसने ऐसा नहीं किया

और इन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के अपने अधिकार का त्याग कर दिया ।

56. पूर्वगामी विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य की सहायता से सभी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में समर्थ रहा था कि अपीलार्थी (अभियुक्त-6) अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ आपराधिक षड्यंत्र का एक सक्रिय सदस्य था और अपने मकान में की गई बैठक में, जो 1 सितम्बर, 1991 को हुई थी, शिवा को मारने/समाप्त करने की योजना रची थी और उसको अग्रसर करते हुए अभियुक्तों (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5) ने शिवा को चाकू घोंपकर क्षतियां करके तारीख 5 सितम्बर, 1991 को उसको सफलतापूर्वक मार दिया/समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप, उसकी मानव वध मृत्यु कारित की गई । अतः, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 302 के अधीन विहित अनुसार दोषसिद्धि और अधिनिर्णीत आजीवन कारावास का दंडादेश सिद्ध होता है । अतः, हम उनके मत से सहमत हैं और तद्नुसार, इसकी पुष्टि करते हैं ।

57. हम केवल यह उल्लेख करना चाहेंगे कि अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है और न ही यह आग्रह किया गया है कि उसका मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख(2) के अंतर्गत आता है और इसलिए उसे इस धारा में विहित अनुसार कम दंडादेश दिया जाए ।

58. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं । अतः, यह अपील असफल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.